

هندي

رسूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम
की सुन्नत पर अमल करना वाजिब है
एवं उसको नकारने वाला काफ़िर है

محمد ﷺ

लेखक

आदरणीय शैख

अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़

उन पर अल्लाह की कृपा की बरखा बरसे!



Islamhouse.com



المحتوى الإسلامي

रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत पर अमल
करना वाजिब है एवं उसको नकारने वाला काफ़िर है

लेखक:

आदरणीय शैख

अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़

उन पर अल्लाह की कृपा की बरखा बरसे!

٢ جمعفة الدعوة و الارشاد و توعية الجالفة بالربوة ، ١٤٤٥ هـ
فهرة مكة الملك فهة الوطنفة أثناء النشر

بن باز : عبءالعزف بن
وآوب العمل بسنة الرسول - وكفر من أنكرها - هنءف . /
عبءالعزف بن بن باز - ط١٠٠ - الرفاض ، ١٤٤٥

٣٤ ص ؛ ١٤ ٢١ ٢ سم

رءمك : ٩٧٨-٦٠٣-٨٤١٧-٠٩-٦

١- السنة النبوة ٢- اصول الفقه أ.العنوان

١٤٤٥ / ٢٣٧٧

ءفوف ٢٥١،١٢

شركاء التنفيذ:



ءار الإسلام جمعفة الربوة رواء الترجمة المءءوى الإسلامي

فءاح طباعة هءا الإصدار ونشره بأف وسفلة مع
الالزام بالإشارة إلى المصدر وعدم الفففر فف النص.

Tel: +966 50 244 7000

info@islamiccontent.org

Riyadh 13245- 2836

www.islamhouse.com

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो बड़ा दयालु एवं अत्यंत कृपावान है।

प्राक्कथन

समस्त प्रकार की प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है, जो सारे संसार का पालनहार है। और अच्छा अंजाम अल्लाह से डरने वालों के लिए है। तथा दुरूद व शांति हो उसके बन्दे एवं रसूल, सारे जहानों के लिए रहमत तथा समस्त बन्दों पर तर्क बनाकर भेजे गए हमारे नबी मुहम्मद पर, उनके परिवार वालों पर और उनके साथियों पर जिन लोगों ने अपने पाक रब की किताब और अपने नबी -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- की सुन्नत को अपने बाद आने वाले लोगों तक ज्यों का त्यों और पूरी अमानत एवं सुरक्षा के साथ, तथा शब्दों एवं अर्थों को पूरण सुरक्षा के साथ पहुँचाया -अल्लाह उनसे राज़ी हो और वे अल्लाह से राज़ी हों- तथा अल्लाह हमें अच्छे ढंग से उनकी पैरवी करने वाला बनाए।

तत्पश्चात:

अगले पिछले समस्त इस्लामिक विद्वानों की इस बात पर सहमति है कि अहकाम (धार्मिक प्रावधान) को साबित करने एवं हलाल व हराम को बयान में जो मान्य उसूल (सिद्धांत) है, वह प्रभुत्वशाली अल्लाह की किताब है, जिसके आगे या पीछे से असत्य के आने का कोई रास्ता नहीं है। फिर अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- की सुन्नत है, जो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वही (प्रकाशना) की गई बात ही



बोलते हैं। फिर इस्लामिक विद्वानों की सहमति अर्थात इज्माअ है, तथा विद्वानों ने इनके सिवा अन्य उसूल (सिद्धांतों) के संबंध में मतभेद किया है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण क्रयास है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि जब इसकी मान्यता प्राप्त शर्तें पाई जाएं तो यह तर्क है। इन उसूल पर इतनी अधिक दलीलें हैं कि गिनती नहीं की जा सकती है, और इतनी प्रसिद्ध हैं कि उनका उल्लेख करने की आवश्यकता ही नहीं है।



अहकाम (धार्मिक आदेश) को साबित करने के लिए मान्यता प्राप्त उसूल (नियम)

पहला असल (प्रथम मूल): अल्लाह की किताब

जहाँ तक प्रथम मूल की बात है तो वह अल्लाह की किताब है।

हमारे महान रब के अनेक कथन, उसकी किताब में बहुत सारे स्थानों पर, इस किताब (क़ुरआन) की पैरवी करने, उसको मज़बूती के साथ पकड़ने एवं उसकी बताई हुई सीमाओं पर रुक जाने की अनिवार्यता को प्रमाणित करते हैं।

अल्लाह तआला ने कहा है:

(हे लोगो!) जो तुम्हारे रब की ओर से तुमपर उतारा गया है, उसपर चलो और उसके सिवा दूसरे सहायकों के पीछे न चलो। तुम बहुत थोड़ी शिक्षा लेते हो।

एक अन्य स्थान में अल्लाह तआला ने फ़रमाया है:

"तथा (उसी प्रकार) ये पुस्तक (क़ुरआन) हमने अवतरित की है, ये बड़ा शुभकारी है, अतः इसपर चलो, और अल्लाह से डरते रहो, ताकि तुम पर दया की जाये"।

एक अन्य स्थान पर फ़रमाया है:



"हे अह्ले किताब! तुम्हारे पास हमारे रसूल आ गये हैं, जो तुम्हारे लिए उन बहुत सी बातों को उजागर कर रहे हैं, जिन्हें तुम छुपा रहे थे, और बहुत सी बातों को छोड़ भी रहे हैं। अब तुम्हारे पास अल्लाह की ओर से प्रकाश तथा खुली पुस्तक (कुरआन) आ गई है।

जिसके द्वारा अल्लाह उन्हें शान्ति का मार्ग दिखा रहा है, जो उसकी प्रसन्नता पर चलते हों, उन्हें अपनी अनुमति से अंधेरों से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है और उन्हें सुपथ दिखाता है"।

एक अन्य स्थान में फ़रमाया है:

निश्चय उन्होंने कुफ़्र कर दिया इस शिक्षा (क़ुरआन) के साथ, जब आ गयी उनके पास, और सच ये है कि ये एक अति सम्मानित पुस्तक है।

नहीं आ सकता झूठ इसके आगे से और न इसके पीछे से। उतरा है तत्वज्ञ, प्रशंसित (अल्लाह) की ओर से।

एक अन्य स्थान पर (नबी की ओर से) फ़रमाया:

"और मेरी तरफ यह क़ुरआन वही किया गया है ताकि मैं इसके द्वारा तुम्हें डराऊँ एवं उसको जिसको यह पहुंचे"।

एक अन्य स्थान में फ़रमाया है:

"यह मनुष्य के लिए एक संदेश है, ताकि इसके द्वारा लोगों को सावधान किया जा सके"।



इस अर्थ की बहुत सारी आयतें (श्लोक) हैं, इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सही हदीसों भी आई हैं, जो कुरआन को मज़बूती के साथ पकड़ने एवं उसे थामे रहने को कहती हैं। तथा जो प्रमाणित करती हैं कि जिसने इसको थामा वह सही मार्ग पर रहा, और जिसने इसे छोड़ दिया वह गुमराह हो गया।

उन्हीं सही हदीसों में से जो नबी -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- से साबित हैं, यह है जो आपने आख़री हज्ज के ख़ुतबा में फरमाया था कि:

"मैं तुम में ऐसी चीज़ छोड़ कर जा रहा हूँ, कि यदि तुम उसको पकड़े रहोगे तो कदापि गुमराह नहीं होगे, और वह अल्लाह की किताब है"।

इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीह (मुसलिम शरीफ़) में रिवायत किया है।

तथा सहीह मुस्लिम में ही ज़ैद बिन अरक़म- रज़ियल्लाहु अन्हु- से वर्णित है कि नबी- सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने फ़रमाया:

"मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, उनमें से पहली अल्लाह की किताब है, उसमें हिदायत एवं रोशनी है, तो अल्लाह की किताब को पकड़ो एवं उसे थामे रहो"।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अल्लाह की किताब को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, तत्पश्चात फरमाया:



(दूसरी चीज़) "मैं तुम्हें अपने घर वालों के बारे में अल्लाह की याद दिलाता हूँ, मैं तुम्हें अपने घर वालों के बारे में अल्लाह की याद दिलाता हूँ (उन्हें कष्ट न देना)"।

एक दूसरे शब्दों में आपने कुरआन के बारे में कहा:

"वह अल्लाह की रस्सी है, जिसने उसको पकड़ा वह सही रास्ते पर रहा, और जिसने उसे छोड़ दिया, वह भटक गया"।

इस अर्थ की हदीसों बहुत ज़्यादा हैं। सहाबा एवं उनके बाद आने वाले समस्त इस्लामिक विद्वानों एवं मोमिनों की सर्वसम्मति है इस बात पर कि अल्लाह की किताब एवं इसके साथ-साथ अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- की सुन्नत को मज़बूती के साथ पकड़ना, उनके अनुसार फ़ैसला करना एवं उन्हें निर्णायक मानना वाजिब है, जो पर्याप्त एवं काफ़ी है इस बात के लिए कि इस संबंध में और अधिक प्रमाण पेश किया जाए।

दूसरा असल (द्वितीय मूल): वह बातें हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, आपके साथियों और उनके बाद इल्म व ईमान वालों की तरफ से सही तौर पर आई हों।

जहाँ तक दूसरे असल की बात है: जो सर्वसम्मति से पारित तीन उसूल (सिद्धांतों) में से है, तो यह वो बातें हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, आपके साथियों और उनके बाद इल्म व ईमान वालों की तरफ से सही तौर पर साबित हों। उलेमा इस शुद्ध असल पर ईमान रखते हैं,



उससे तर्क पकड़ते हैं और उसे उम्मत को सिखाते हैं। उलेमा ने इस विषय पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और इसे उसूल अल-फ़िक्ह (धर्मशास्त्र के सिद्धांत) एवं मुस्तलह की पुस्तकों में स्पष्ट किया है। इस पर अनगिनत तर्क मौजूद हैं, उन्हीं में से अल्लाह तआला की किताब में आया हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी एवं अनुसरण करने का आदेश भी है। और यह आदेश आपके ज़माना वालों के साथ साथ बाद में आने वालों के लिए भी है, क्योंकि आप सभी लोगों की ओर अल्लाह के रसूल अर्थात् संदेशवाहक बनाकर भेजे गए थे। और उन सभी लोगों को क्रयामत (प्रलय) आने तक आपकी पैरवी तथा अनुसरण करने का आदेश दिया गया है। और इस लिए भी कि नबी -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- अल्लाह की किताब के व्याख़ाता थे और उसमें जो संक्षेप है, उसे अपनी बातों, कामों एवं सहमति के द्वारा खोल खोल कर बयान करने वाले थे। यदि सुन्नत न होती तो लोग न नमाज़ों की रकूअतों के बारे में जान पाते, न उनके तरीक़ों के बारे में और न यह पता कर पाते कि उनमें उनको क्या करना है। वे रोज़ा, ज़कात, हज्ज, जिहाद, भलाई का आदेश एवं बुराई से रोक-थाम के विस्तृत अहकाम नहीं जान पाते, न वे मामलात (व्यवहार) तथा मुहर्रमात (वर्जनाओं) के विस्तृत अहकाम से अवगत होते और न ही यह सामने आता कि अल्लाह ने उनपर क्या हुदूद, मर्यादाएं एवं दंड निर्धारित किया है।

इस संबंध में अल्लाह की किताब में वर्णित कुछ आयतें (निम्न हैं)



इस संबंध में वर्णित आयतों में से अल्लाह तआला का यह कथन है जो सूरा आल-ए-इमरान में आया है:

"तथा अल्लाह और रसूल के आज्ञाकारी रहो, ताकि तुम पर दया की जाये"।

तथा सूरा निसा में है:

"ऐ ईमान वालो, अल्लाह के आदेशों का पालन करो और रसूल तथा हाकिम के आज्ञाकारी बनो, यदि किसी मामले में तुम्हारा मतभेद हो जाये, तो उसे अल्लाह और रसूल की ओर लौटा दो, यदि तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो, यही भलाई और बेहतरीन अंजाम वाला है"।

तथा सूरा निसा में ही एक दूसरे स्थान पर है:

जिसने रसूल की आज्ञा का अनुपालन किया, (वास्तव में) उसने अल्लाह की आज्ञा का पालन किया तथा जिसने मुँह फेर लिया, तो (हे नबी!) हमने आपको उनका प्रहरी (रक्षक) बनाकर नहीं भेजा है।

अल्लाह का आज्ञापालन कैसे किया जा सकता है एवं विवादित मामलों को अल्लाह की किताब एवं उसके रसूल की सुन्नत की ओर कैसे लौटाया जा सकता है यदि आप की सुन्नत ही अमान्य हो या पूरी की पूरी असुरक्षित हो। इस बात की बुनियाद पर तो यह माना जाएगा कि अल्लाह ने अपने बन्दों को ऐसी चीज़ के हवाले कर दिया है जिसका कोई वजूद ही नहीं



है। जबकि यह बहुत बड़ा झूठ, अल्लाह के साथ बहुत बड़ा कुफ़्र एवं उसके साथ बदगुमानी है।

महान अल्लाह ने सूरा नह्ल में फरमाया है:

“यह जिक्र (किताब) हम ने आप की तरफ़ उतारी है कि लोगों की तरफ़ जो उतारा गया है आप उसे स्पष्ट तौर से बयान कर दें , शायद कि वे सोच-विचार करें”।

सूरा नह्ल के ही एक अन्य स्थान में कहा है:

और हमने आप पर ये पुस्तक (कुर्आन) इसी लिए उतारी है, ताकि आप उनके लिए उसे उजागर कर दें, जिसमें वे विभेद कर रहे हैं तथा मार्गदर्शन और दया है, उन लोगों के लिए, जो ईमान (विश्वास) रखते हैं।

अल्लाह पाक कैसे अपने रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- को लोगों की तरफ उतारी गई वही की व्यख्या की ज़िम्मेदारी दे सकता है, जबकि उनकी सुन्नत का वजूद ही नहीं हो अथवा उससे तर्क न पकड़ा जा सकता हो?

अल्लाह तआला ने इसी तरह की बात सूरा अल- नूर में कही है:

"(हे नबी!) आप कह दें कि अल्लाह की आज्ञा का पालन करो तथा रसूल की आज्ञा का पालन करो, और यदि तुम विमुख होगे, तो रसूल पर केवल संदेश पहुँचाने का कर्तव्य है, जिसकी ज़िम्मेदारी उन पर डाली गई है, और तुम पर उसे स्वीकार करना वाजिब है, जिसका भार तुम पर रखा गया है,



यदि तुम उनका अनुसरण करोगे तो सीधे मार्ग पर आ जाओगे, और रसूल का दायित्व केवल खुला आदेश पहुँचा देना है"।

अल्लाह तआला ने सूरा अल- नूर में ही कहा है:

तथा नमाज़ की स्थापना करो, ज़कात दो और रसूल की आज्ञा का पालन करो, ताकि तुम पर दया की जाये।

तथा सूरा आराफ़ में कहा है:

"(हे नबी!) आप लोगों से कह दें कि हे मानव जाति के लोगो! मैं तुम सभी की ओर उस अल्लाह का रसूल हूँ, जिसके लिए आकाश तथा धरती का राज्य है। कोई वंदनीय (पूज्य) नहीं है, परन्तु वही, जो जीवन देता तथा मारता है। अतः अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके उस निरक्षर नबी पर, जो अल्लाह पर और उसकी सभी पुस्तकों पर ईमान रखता है और उसका अनुसरण करो, ताकि तुम मार्गदर्शन पा जाओ"।

इन आयतों में यह स्पष्ट प्रमाण है कि हिदायत एवं रहमत केवल और केवल नबी -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- के अनुसरण में है, और यह, उनकी सुन्नत पर अमल किए बिना अथवा यह कहकर कि वह सही नहीं है या उसपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, कैसे संभव है?

महान अल्लाह ने सूरा नूर में फरमाया है:



"जो लोग अल्लाह के रसूल के आदेश का उल्लंघन करते हैं, और उस से विमुख होते हैं उन्हें डरना चाहिए, कहीं उन पर कोई आपदा न आ जाए अथवा उन्हें कोई यातना न आ घेरे"।

और सूरा हश्र में कहा है:

"तथा जो तुम्हें रसूल दें, तुम उसे ले लिया करो और जिस चीज से रोकें, रुक जाया करो"।

इस अर्थ की बहुत आयतें हैं, सभी की सभी नबी -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- के अनुसरण एवं वह जो कुछ लेकर आए हैं, उसकी पैरवी को वाजिब करार देती हैं, इसी प्रकार अल्लाह की किताब का अनुसरण करने, उसे मज़बूती के साथ पकड़ने तथा उसके आदेशों-निर्देशों को मानने के बारे में तर्कों का उल्लेख किया जा चुका है। ये दोनों एक दूसरे का अभिन्न अंग हैं, जिसने इन दोनों में से किसी एक का इंकार किया, उसने दूसरे का भी इंकार किया, एवं उसे झुठलाया, और ऐसा करना इस्लामी विद्वानों की सर्वसम्मति से कुफ़्र है, गुराही है तथा इस्लाम से बाहर कर देने वाला मामला है।

इस संबंध में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से वर्णित कुछ हदीसों का उल्लेख:

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ऐसी बहुतेरी हदीसों वर्णित हैं जो आपके अनुसरण एवं आपकी लाई हुई शरीयत की पैरवी को वाजिब करती हैं तथा आपकी अवज्ञा को हराम करार देती हैं, तथा यह उन



लोगों के लिए था जो आप के युग में थे और उन लोगों के लिए भी है जो उनके बाद क़यामत (पुनरुत्थान) के दिन तक आएंगे। उन्हीं में से यह हदीस है जो बुखारी एवं मुस्लिम में आदरणीय अबू हु़रैरा -अल्लाह उनसे राज़ी हो- से वर्णित है, कि नबी -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने फ़रमाया:

"जिसने मेरा अनुसरण किया उसने अल्लाह का अनुसरण किया, और जिसने मेरी अवज्ञा की उसने अल्लाह की अवज्ञा की"।

तथा सहीह बुखारी में अबू हु़रैरा -रज़ियल्लाहु अन्हु- से ही वर्णित है कि नबी- सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने फ़रमाया:

"मेरी उम्मत के सारे लोग जन्नत में प्रवेश करेंगे, सिवाय उसके, जो इनकार करेगा"। कहा गया कि ऐ अल्लाह के रसूल, भला कौन इनकार करेगा? तो फ़रमाया: "जो मेरे आदेशों का पालन करेगा, वह जन्नत में प्रवेश करेगा और जो मेरी अवज्ञा करेगा, वही इनकार करने वाला होगा"।

अहमद, अबू दाऊद और हाकिम ने मिक्दाम बिन मअदी करिब से सही सनद के साथ अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- से रिवायत किया है कि आपने फ़रमाया:

"ख़बरदार, मुझे किताब (क़ुर्आन) और उसके साथ उसी की तरह की एक और चीज़ (हदीस) दी गई है, क़रीब ही एक ज़माना आएगा जब एक पेट भरा हुआ आदमी अपने बिस्तर पर टेक लगाए होगा और (अहंकार तथा घमंड



से) कहेगा, हमारे लिए यह कुरआन ही पर्याप्त है, जो इसमें हलाल है उसको हलाल समझो और जो इसमें हराम है उसको हराम समझो"।

इसी तरह अबू दाऊद एवं इब्ने माजह ने सही सनद के साथ इब्ने अबी राफ़ेअ से रिवायत किया है तथा वह अपने बाप से, और वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया:

"मैं तुम में से किसी को अपने बिस्तर पर टेक लगाए हुए कदापि इस स्थिति में न पाऊँ कि उसके पास मेरी हदीसों में से कोई हदीस पहुँचे, जिसमें मैंने किसी चीज़ का आदेश दिया हो अथवा किसी चीज़ से मना किया हो, और वह व्यक्ति कहे कि: हम इसे नहीं जानते हैं, हमें जो कुछ अल्लाह की किताब में मिला, हमने उसी का अनुसरण किया है"।

हसन बिन जाबिर से रिवायत है, वह कहते हैं कि मैं ने मिक़दाम बिन मअदी करिब -अल्लाह उनसे राज़ी हो- से सुना है, वह कहते हैं:

अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने ख़ैबर के दिन कुछ चीज़ों को हराम किया, फिर आपने फरमाया: "क़रीब ही ऐसा युग आएगा जब तुम में से कुछ लोग अपने बिस्तर पर बैठे होंगे और वह मुझ को झुठलाएंगे। उसके सामने जब मेरी हदीस का वर्णन होगा तो कहेगा, हमारे और तुम्हारे बीच अल्लाह की किताब ही निर्णय करेगी, हमको उसमें जो हलाल मिलेगा, हम उसको हलाल जानेंगे, और हमें उसमें जो हराम मिलेगा, हम उसको हराम जानेंगे। ख़बरदार, जिस चीज़ को अल्लाह के रसूल ने हराम



घोषित कर दिया, वह उसी प्रकार हराम है जिस प्रकार अल्लाह की हराम की हुई चीज़ हराम है"।

इस हदीस को हाकिम, तिर्मिज़ी और इब्ने माजह ने सही सनद के साथ रिवायत किया है।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुतावातिर (बहुतेरी) हदीसे आई हैं जिनमें आप अपने सहाबा को अपने खुत्बा में नसीहत करते हैं कि तुम में से जो उपस्थित है, वह उन तक मेरी बात पहुँचा दे जो अनुपस्थिति हैं, और आपने उनसे कहा कि कई बार सुनने वाले से वह व्यक्ति अधिक याद रखता है जिस तक बात पहुँचाई जाती है।

उन्हीं हदीसों में से यह हदीस भी है जो बुखारी एवं मुस्लिम में है, कि नबी -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने जब अंतिम हज्ज में अरफ़ा के दिन एवं नहर (ईद-उल-अज़हा) के दिन लोगों को संबोधित किया, तो आपने उनसे कहा:

"तुम में से उपस्थित व्यक्ति अनुपस्थित व्यक्ति तक मेरी बात पहुँचा दे, क्योंकि कई बार सुनने वाले से वह व्यक्ति बात को अधिक याद रखता है जिस तक बात पहुँचाई जाती है"।

यदि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत प्रमाण और तर्क नहीं होती उसके लिए जिसने उसको सुना, एवं उसके लिए जिस तक वह पहुँची, तथा यदि वह क्रयामत तक बाक़ी रहने वाली न होती, तो आप



सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसके प्रचार का आदेश न देते। इससे मालूम हुआ कि सुन्नत से तर्क पकड़ना बाक़ी है उसके लिए जिसने उसे नबी - सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- के मुंह से सुना है और उसके लिए भी जिस तक यह सही सनदों (वर्णन करने की कड़ी) के द्वारा पहुँची हो।

अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- के साथियों ने आपकी मौखिक एवं कर्म से संबंधित सुन्नत को याद किया, फिर उसे उनके बाद आने वाले लोगों (ताबिईन) तक पहुँचा दिया, और उन लोगों ने अपने बाद आने वालों तक। और इसी तरह प्रामाणिक एवं विश्वसनीय विद्वान इसे एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी एवं एक सदी के बाद दूसरी सदी तक पहुँचाते रहे। तथा विश्वसनीय विद्वानों उन्हें अपनी किताबों में एकत्रित किया, उनमें से सही को ग़लत से अलग किया। और इसका पता लगाने के लिए अपने बीच निर्धारित व निश्चित क़ानून एवं नियम बनाए, जिनके द्वारा सही सुन्नत को कमज़ोर सुन्नत से अलग किया जा सकता है। विद्वानों ने सुन्नत की किताबों जैसे बुखारी एवं मुस्लिम इत्यादि को हाथों हाथ लिया, उनको मुकम्मल याद किया, जिस प्रकार से अल्लाह ने अपनी किताब को बिगाड़ पैदा करने वालों के बिगाड़, नास्तिकों की नास्तिकता और मिथ्याचारियों की विकृति से बचाया, अल्लाह तआला के इस कथन के अनुसार:

"वास्तव में, हमने ही इस ज़िक्र को उतारा है, और हम ही इसके रक्षक हैं।"



तथा निस्संदेह रूप से अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- की सुन्नत उतारी हुई वही है, अल्लाह ने इसकी उसी प्रकार रक्षा की जिस प्रकार अपनी किताब की रक्षा की, इसके लिए आलोचनात्मक विद्वान तैयार किया, जिन्होंने इसे मिथ्याचारियों की विकृति और अज्ञानियों के हेर-फेर से बचाया तथा इसे हर उस चीज़ से सुरक्षित किया जो अज्ञानी, झूठे एवं नास्तिक लोगों ने इसमें मिला दिया था। क्योंकि अल्लाह तआला ने सुन्नत को अपनी पवित्र किताब की व्याख्या करने वाली एवं उसमें जो अहकाम (धार्मिक विधान) संक्षेप में हैं उनको बयान करने वाली बनाया है। इसी प्रकार से इसके अंदर दूसरे उन अहकाम का भी उल्लेख है जो अल्लाह की किताब में नहीं हैं, जैसे कि रज़ाअत (दुग्धपान कराने) के अहकाम, मीरास (विरासत) के कुछ अहकाम, औरत और उसकी बुआ तथा औरत और उसकी मौसी के बीच (एक साथ निकाह में) जमा करने की निषिद्धता जैसे अहकाम का विवरण, जिनका वर्णन सही सुन्नत में तो मौजूद है, किंतु उनका उल्लेख अल्लाह की किताब में नहीं है।

यहां कुछ और दलीलों का उल्लेख हो रहा है जो सहाबा, ताबेईन एवं उनके बाद आने वाले विद्वानों से वर्णित हैं।

सुन्नत के सम्मान एवं उस पर अमल करने के अनिवार्य होने पर सहाबा, ताबेईन एवं उनके बाद आने वाले ज्ञानियों की तरफ से वर्णित कुछ दलीलें:



बुखारी एवं मुस्लिम में अबू-हुरैरा -रज़ियल्लाहु अन्हु- से रिवायत है, उन्होंने कहा:

जब अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- की मृत्यु हो गई, तथा अरब के बहुत सारे लोग धर्म से फिर गए, तो अबू बक्र सिदीक़ - अल्लाह उनसे राज़ी हो- ने कहा:

अल्लाह की क्रसम! मैं उन लोगों के साथ जिहाद करूँगा जो नमाज़ एवं ज़कात के बीच अंतर करते हैं।

तो उमर -अल्लाह उनसे राज़ी हो- ने उनसे कहा:

आप उनसे कैसे लड़ाई कर सकते हैं जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है:

"मुझे आदेश दिया गया है कि मैं लोगों से उस समय तक जिहाद करूँ जब तक कि वे "ला इलाहा इल्लल्लाहु" (अर्थात्; अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य पूज्य नहीं) न कहें। जब वे यह कह दें तो उन्होंने मुझ से अपने खून एवं माल को सुरक्षित कर लिया, मगर इस (कलेमे) के हक़ (अधिकार) के साथ"।

तो अबू बक्र सिदीक़ ने कहा:

क्या ज़कात इस कलेमे के अधिकारों में से नहीं है, अल्लाह की क्रसम! यदि वे लोग रसूलुल्लाह -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- को एक भेड़ का



बच्चा भी ज़कात के तौर पर देते थे, और अब उसे देने से मना कर रहे हैं, तो भी मैं उनसे जिहाद करूंगा।

तो उमर -अल्लाह उनसे राज़ी हो- ने कहा: इसके बाद मैं जान गया कि अल्लाह ने अबू बक्र के सीने को जिहाद के लिए खोल दिया है, और मैं यह भी जान गया कि वह हक्र पर हैं। इसके बाद सहाबा -अल्लाह उन सब से राज़ी हो- ने अबू बक्र की पैरवी की, उनके साथ ज़कात न देने वालों के विरुद्ध जिहाद किया, यहाँ तक कि उन्हें इस्लाम की ओर लौटा कर ले आए, और जो लोग अपनी रिदत (अधर्मिता) पर अड़े रहे, मारे गए। यह घटना सुन्नत का सम्मान करने एवं उसपर अमल करने के अनिवार्य होने की स्पष्ट दलील है। एक दादी हज़रत अबू बक्र सिद्दीक -अल्लाह उनसे राज़ी हो- के पास विरासत में अपने हक्र के बारे में पूछने आई, तो आपने कहा: तुम्हारे लिए अल्लाह की किताब में कुछ नहीं है और न मैं जानता हूँ कि अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने तुम्हारे हक्र में कुछ निर्णय दिया है, मैं लोगों से पूछता हूँ। फिर आप -अल्लाह उनसे राज़ी हो- ने सहाबा से पूछा, तो वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने गवाही दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दादी को छद्म भाग दिया है। तो आपने भी उस दादी के हक्र में यही फैसला किया। उमर - अल्लाह उनसे राज़ी हो- अपने अधिकारियों को आदेश देते थे कि लोगों के बीच अल्लाह की किताब के अनुसार निर्णय करें, यदि उस (समस्या) का समाधान अल्लाह की किताब में न मिले तो अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- की सुन्नत के मुताबिक फैसला करें। जब आपको उस



औरत की समस्या का समाधान समझ में नहीं आया जिसका बच्चा किसी के उस पर अत्याचार करने के कारण समय से पहले मर कर गिर गया था, तो आपने सहाबा -अल्लाह उन सब से राज़ी हो- से इस बारे में पूछा। तो उनके पास मुहम्मद बिन मस्लमा और मुगीरा बिन शोअबा -अल्लाह उन दोनों से राज़ी हो- ने गवाही दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस संबंध में एक दास या दासी को जुर्माना के रूप में देने का निर्णय दिया है, तो आप -अल्लाह उनसे राज़ी हो- ने भी ऐसा ही निर्णय दिया।

जब उसमान -अल्लाह उनसे राज़ी हो- को उस औरत की समस्या का समाधान समझ में न आया जिसका पति मर गया हो कि वह इदत के दिन कहाँ गुज़ारे, तो उन्हें अबू सईद की बहन फुरैअह बिन्त मालिक बिन सिनान -अल्लाह उनसे राज़ी हो- ने ख़बर दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनको उनके पति की मृत्यु के बाद उनके पति के घर में ही रुकने का आदेश दिया था, यहाँ तक कि इदत की अवधि गुज़र जाए, तो उसमान -अल्लाह उनसे राज़ी हो- ने भी ऐसा ही फैसला सुनाया।

इसी तरह उसमान -अल्लाह उन से राज़ी हो- ने सुन्नत के अनुसार वलीद बिन उक्रबा पर शराब का दंड लागू किया। जब अली -अल्लाह उनसे राज़ी हो- को मालूम हुआ कि उसमान -अल्लाह उनसे राज़ी हो- हज्ज -ए-तमत्तुअ (हज्ज व उमरा एक साथ करने) से मना करते हैं, तो अली -अल्लाह उनसे राज़ी हो- ने हज्ज और उमरा की एक साथ निय्यत की। और फ़रमाया कि मैं किसी आदमी के कहने के कारण अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व



सल्लम की सुन्नत को नहीं छोड़ूँगा। जब कुछ लोगों ने, अबू बक्र और उमर - अल्लाह उन दोनों से राज़ी हो- के कथन के आधार पर, कि हज्ज -ए- इफ़्राद अर्थात केवल हज्ज की नियत की जाए, हज्ज -ए- तमत्तुअ के संबंध में इब्ने अब्बास -अल्लाह उन दोनों से राज़ी हो- का विरोध किया। तो इब्ने अब्बास ने कहा: "कहीं तुम पर आसमान से पत्थर न बरसने लगे, मैं कहता हूँ: अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया और तुम कहते हो: अबू बक्र तथा उमर ने कहा"। जब अबू बक्र एवं उमर की बात की बुनियाद पर सुन्नत के विरुद्ध कार्य करने वाले पर दंड, सज़ा या मुसीबत आने का डर हो, तो तनिक सोचें उसका हाल क्या होगा जो उन दोनों से निम्न दर्जे के आदमी की बात के कारण, या केवल अपनी राय या विवेक की बुनियाद पर ऐसा करता है। जब कुछ लोगों ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर -अल्लाह उन दोनों से राज़ी हो- से कुछ सुन्नतों के बारे में मतभेद किया तो अब्दुल्लाह ने उनसे कहा: हमें उमर के अनुसरण का आदेश दिया गया है या सुन्नत के अनुसरण का?

हज़रत इमरान बिन हुसैन -अल्लाह उन दोनों से राज़ी हो- एक बार लोगों को सुन्नत के बारे में बता रहे थे, तो एक आदमी ने उनसे अल्लाह की किताब के बारे में बताने को कहा: जिस पर वह गुस्सा हो गए और कहा: सुन्नत अल्लाह की किताब की व्याख्या है, यदि सुन्नत न होती तो हम नहीं जान पाते कि जुहर चार रक्अत, मग़रिब तीन रक्अत और फ़ज़्र दो रक्अत



पढ़नी है, और न ही हम ज़कात का विवरण और न ही सुन्नत में आए दूसरे हुक्मों एवं आदेशों का विवरण जान पाते।

सुन्नत का सम्मान करने, उसपर अमल करने के अनिवार्य होने एवं उसका उल्लंघन करने से डराने के संबंध में सहाबा -अल्लाह उन सब से राज़ी हो- से बहुत से आस्रार (कथन) वर्णित हैं। उन्हीं में से यह भी है कि जब अब्दुल्लाह बिन उमर -अल्लाह उन दोनों से राज़ी हो- ने आप सल्लल्लाहु अलैहि की इस हदीस को बयान किया: "अल्लाह की बन्दियों को अल्लाह की मस्जिदों से न रोको"। तो उनके किसी बेटे ने कहा: अल्लाह की क्रसम! हम उन्हें अवश्य रोकेंगे, यह सुन कर अब्दुल्लाह उन पर क्रोधित हो गए और अत्यंत कठोर शब्दों का प्रयोग किया और कहा: "मैं कहता हूँ कि अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने ऐसा कहा है और तुम कहते हो कि हम उन्हें अवश्य रोकेंगे"। अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़ल अल-मुज़नी -अल्लाह उनसे राज़ी हो- जो अल्लाह के रसूल के साथियों में से एक थे- जब उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को कंकड़ फेंकते देखा, तो उन्होंने उसको ऐसा करने से मना किया। और उससे कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कंकड़ फेंकने से मना किया है और फरमाया है कि इससे न तो शिकार किया जा सकता है और न ही दुश्मन को गहरी चोट पहुँचाई जा सकती है, किंतु यह दांत तोड़ देता है और आँख फोड़ देता है। बाद में उसको फिर कंकड़ फेंकते देखा, तो उन्होंने कहा: मैं तुम से कभी बात नहीं करूंगा, मैं ने तुम को बताया था



कि अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने इससे मना किया है और तुम फिर वही कार्य कर रहे हो।

बैहक्री ने महान ताबिई अय्यूब अल-सिख़ितयानी से वर्णन किया है, वह कहते हैं:

"जब तुम किसी आदमी को सुन्नत के बारे में बताओ, और वह कहे कि इसे छोड़ें, हमें कुरआन के बारे में बताएं, तो जान लो कि वह गुमराह है"।

इमाम औज़ाई -अल्लाह उन पर रहम करे- कहते हैं: "सुन्नत कुरआन की व्याख्या करने वाली, उसके आम को ख़ास करने वाली एवं कुछ ऐसे अहकाम को बयान करने वाली है जो किताब (क़र्आन) में नहीं हैं, जैसा कि पाक अल्लाह ने कहा है:

“यह जिक्र (किताब) हम ने आप की तरफ़ उतारी है कि लोगों की तरफ़ जो उतारा गया है आप उसे स्पष्ट तौर से बयान कर दें , शायद कि वे सोच-विचार करें"।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फ़रमान पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है:

"सुनो ! मुझे कुरआन और उसके समान एक और चीज़ दी गयी है"।

बैहक्री आमिर अल-शअबी -अल्लाह उन पर रहम करे- से वर्णन करते हैं, कि उन्होंने कुछ लोगों से कहा: "जब कभी तुम आस्रार छोड़ोगे, उसी समय



हलाक हो जाओगे"। इससे उनका अभिप्राय सही हदीसों थीं। बैहक्री ने ही औज़ाई -अल्लाह उन पर रहम करे- से रिवायत किया है कि उन्होंने अपने कुछ साथियों से कहा: "जब तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल की तरफ से कोई हदीस पहुँचे तो किसी और की बात करने से बचो, इसलिए कि अल्लाह के रसूल अल्लाह के संदेशवाहक थे"।

बैहक्री ने महान इमाम सुफ़ियान बिन सईद अल-सौरी -अल्लाह उन पर रहम करे- से रिवायत किया है कि उन्होंने कहा: "असल ज्ञान तो हदीस का ज्ञान है"।

इमाम मालिक -अल्लाह उन पर रहम करे- कहते हैं: "हम में से हर किसी की बात ठुकराई जा सकती है, सिवाय इस क़ब्र वाले के (जिसकी बात ठुकराई नहीं जा सकती है)। फिर आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र की तरफ इशारा किया।

इमाम अबू हनीफ़ा -अल्लाह उन पर रहम करे- कहते हैं:

"जब अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- से कोई हदीस आ जाए, तो वह सिर आँखों पर"।

इमाम शाफ़िई -उनपर अल्लाह की कृपा हो- कहते हैं:

"जब मुझ से अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- की कोई हदीस बयान की जाए और मैं उसे न लूँ, तो तुम गवाह रहना कि मैं पागल हो गया हूँ"।



आप -उनपर अल्लाह की कृपा हो- यह भी कहते हैं:

"जब मैं तुम्हें कोई बात कहूँ, और उसके खिलाफ़ अल्लाह के रसूल - सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- से कोई हदीस मिल जाए, तो मेरी बात को दीवार पर दे मारो"।

इमाम अहमद बिन हंबल -अल्लाह उनपर रहम करे- ने अपने कुछ साथियों के सामने फरमाया:

"न मेरी तक़लीद (अंध अनुसरण) करो और न इमाम मालिक व शाफ़िई की, वहीं से लो जहाँ से हम सब ने लिया है"।

आप -उनपर अल्लाह की कृपा हो- यह भी कहते हैं:

"मुझे उन लोगों पर आश्चर्य होता है जो लोग अल्लाह के रसूल - सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- की ओर से आई हुई किसी हदीस की सेहत एवं सनद को जानने के बावजूद सुफ़ियान के पास जाते हैं, जबकि अल्लाह पाक कहता है:

"जो लोग अल्लाह के रसूल के आदेश का उल्लंघन करते हैं, और उससे विमुख होते हैं उन्हें डरना चाहिए कि कहीं उन पर कोई आपदा (फ़ित्ना) न आ जाए अथवा उन्हें कोई यातना न आ घरे"।

उन्होंने कहा, "क्या तुम जानते हो कि फ़ित्ना क्या है?"



फितना से अभिप्राय शिर्क है, जब इन्सान नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की किसी बात को ठुकराए तो हो सकता है उसके दिल में किसी प्रकार का विकार आ जाए और वह बर्बाद हो जाए"।

बैहक़ी ने महान ताबिई मुजाहिद बिन ज़ब्र से रिवायत किया है, वह अल्लाह पाक की इस आयत:

"जब तुम्हारे बीच किसी मामला को लेकर मतभेद हो जाए, तो उसे अल्लाह एवं रसूल के पास ले जाओ"।

के बारे में कहते हैं: "अल्लाह के पास ले जाने का अर्थ; उसकी किताब के पास ले जाना है, एवं रसूल के पास ले जाने का अर्थ है; सुन्नत के पास ले जाना"।

बैहक़ी ने ज़ुहरी -अल्लाह उन पर रहम करे- से वर्णन किया है. वह कहते हैं:

"हमारे जो विद्वान गुजर चुके हैं, वे यही कहा करते थे कि सुन्नत को मज़बूती के साथ पकड़ने में ही नजात है"।

मुवफ़क़ुद्दीन बिन कुदामा -अल्लाह उन पर रहम करे- ने अपनी किताब "रौज़तुन् नाज़िर" में अहक़ाम (धार्मिक विधान) के सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा है, जिसका मूल कथन शब्दशः निम्न है:



"दलीलों का दूसरा असल (द्वितीय मूल) अल्लाह के रसूल - सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- की सुन्नत है, तथा आप -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- का फरमान आपकी सच्चाई को साबित करने के लिए तर्क है, अल्लाह तआला ने इसका अनुसरण करने का आदेश दिया है तथा इसका उल्लंघन करने से चेताया है"

बात समाप्त हुई।

हाफ़िज़ इब्ने कसीर -अल्लाह उन पर रहम करे- ने अल्लाह तआला के इस फ़रमान की व्याख्या करते हुए कहा है:

"जो लोग अल्लाह के रसूल के आदेश का उल्लंघन करते हैं, और उस से विमुख होते हैं उन्हें डरना चाहिए कहीं उन पर कोई आपदा (फितना) न आ जाए अथवा उन्हें कोई यातना न आ घेरे"।

अर्थात् अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- के आदेश का उल्लंघन करते हैं, और आपका (आदेश); आपका रास्ता, आपका तरीका, आपका पदचिन्ह, आपकी सुन्नत एवं आपकी शरीयत है। बातों एवं कर्मों को आप ही की बातों एवं कर्मों के तराजू पर तोला जाएगा। जो उनके अनुसार होंगे, वे स्वीकार्य होंगे एवं जो उनके विपरीत होंगे वे उसके कहने वाले एवं करने वाले के मुंह पर मार दिया जाएगा, चाहे वह कोई भी हो।

जैसा कि बुख़ारी एवं मुस्लिम इत्यादि में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित है, कि आपने फ़रमाया:



"जिसने कोई ऐसा कार्य किया, जिसके सम्बंध में हमारा आदेश नहीं है, तो वह अग्रहणीय है"।

अर्थात् जो बाह्य या आंतरिक रूप से अल्लाह की शरीयत का उल्लंघन करता है उसको भयभीत होना चाहिए तथा सावधान रहना चाहिए,

कि "कहीं उसको कोई फ़ितना न आ धरे",

अर्थात्; उनके दिलों को कुफ़्र या निफ़ाक़ अथवा बिद्अत का रोग न लग जाए।

या "उन्हें कोई दर्दनाक अज़ाब न आ पहुँचे"।

अर्थात्; दुनिया में कहीं उनकी हत्या न कर दी जाए, या दंडित न किया जाए या कैद इत्यादी का मामला न आ जाए।

जैसा कि इमाम अहमद ने अब्दुर रज़्ज़ाक़ से, उन्होंने मअमर से उन्होंने हम्माम बिन मुनब्बिह से रिवायत किया है, वह कहते हैं:

यह वह हदीस है जिसे अबू हुरैरा ने हम से रिवायत किया है, वह कहते हैं:

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है:

"मेरा और तुम्हारा उदाहरण उस आदमी की तरह है जिसने आग जलाई, जब उस आग ने अपने आस-पास को रोशन कर दिया, तो उसमें कीड़े और पतिंगे गिरने लगे, वह आदमी उन्हें रोकने लगा लेकिन वह कीड़े और



पतिंगे उस पर प्रभुत्व पा कर उसमें गिरे ही गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: मेरा और तुम लोगों का उदाहरण इसी प्रकार का है, मैं तुम लोगों को आग में जाने से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ मगर तुम लोग मेरी बात न मान कर उसमें गिरे ही जा रहे हो"।

दोनों ने इसे अब्दुर रज़्जाक की हदीस से वर्णन किया है।

सुयूती -अल्लाह उन पर रहम करे- "मिफ़ताहुल जन्नति फ़ी अल-इहतिजाजि बि अल-सुन्नति" नामक अपनी एक पुस्तिका में कहते हैं:

"जान लें -अल्लाह आप सब पर रहम करे- यदि नबी -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- की कोई हदीस, चाहे वह कथन हो या कर्म हो, और वह हदीस के मालूम उसूल (ज्ञात एवं निर्धारित नियमों) की शर्त के अनुसार हो, तो इसके बावजूद यदि कोई इसके तर्क होने को नकार दे, तो वह काफ़िर है, इस्लाम से बाहर है, उसका अंजाम यहूदियों एवं ईसाइयों, या काफ़िर गुटों में से जिसके साथ अल्लाह चाहेगा, उसके साथ होगा।

बात समाप्त हुई।

सुन्नत का सम्मान करने, उसपर अमल करने के अनिवार्य होने एवं उसका उल्लंघन करने से डराने के संबंध में सहाबा -अल्लाह उन सब से राज़ी हो- एवं ताबेईन -अल्लाह उन सब पर दया करे- तथा उनके बाद के विद्वानों से बहुत से आसार (कथन) वर्णित हैं।



मैं आशा करता हूँ कि मैं ने जिन आयतों, हदीसों एवं आसार का उल्लेख किया है वे सत्य के खोजी के लिए पर्याप्त एवं आश्वस्त करने वाले होंगे।

हम अल्लाह तआला से दुआ करते हैं कि वह हमें एवं तमाम मुसलमानों को उन कामों के करने की शक्ति प्रदान करे जिन से वह राज़ी हो और जो उसके क्रोध से बचने के कारण हों। और हम सभी को सीधा मार्ग दिखाए, निःसंदेह वह बहुत अधिक सुनने वाला और समीप है।

अल्लाह तआला की कृपा एवं शांति की बरखा बरसे अल्लाह के बंदे, उसके रसूल और हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर, एवं उनके परिजनों, साथियों तथा निष्ठा के साथ उनका अनुसरण करने वालों पर।

अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़

उनपर अल्लाह की कृपा की बरखा बरसे!



विषय सूची

प्राक्कथन.....	3
अहकाम (धार्मिक आदेश) को साबित करने के लिए मान्यता प्राप्त उसूल (नियम).....	5
विषय सूची	32



لغة 100 الإسلام بأكثر من 100 لغة



موسوعة المصطلحات الإسلامية
TerminologyEnc.com



موسوعة تضم ترجمات المصطلحات الإسلامية وشرحها بعدة لغات



موسوعة الأحاديث النبوية
HadeethEnc.com



موسوعة تضم ترجمات للأحاديث النبوية وشرحها بعدة لغات



موسوعة القرآن الكريم
QuranEnc.com



موسوعة تضم تفاسير وتراجم موثوقة لمعاني القرآن الكريم

IslamHouse.com



مرجعية مجانية إلكترونية موثوقة للتعريف بالإسلام



منتقى المحتوى الإسلامي



موسوعة تضم المنتقى من المحتوى الإسلامي باللغات

جمعية خدمة المحتوى الإسلامي باللغات



جمعية الدعوة وتوعية الجاليات بالربوة



وجوب العمل بسنة الرسول - وكفر من أنكرها